# फर्द अहकाम

न्यायालय ________________

________________ बनाम ________________

मुकदमा संख्या / वर्ष ________________ /20

| क्रम सं० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | [illegible] |
| | 26/7/23 | चुका है। आपसी सहमति बंटवारे की अपील की अपील माननीय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है वा ही माननीय न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति से बंटवारे को शून्य घोषित करवाने का दावा पोषणीय है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा कोई वाद नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। ना ही माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त है। अत: वादिया का वाद खारिज किया जावे।<br><br>अधिवक्ता वादिया ने प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 5 की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि दिनांक 16/12/2021 का सहमति बंटवारा वादिया को धोखा देकर कराया गया है जो वादिया के अधिकारों के प्रति शून्य है। वादिया उस आपसी सहमति बंटवारा से पाबन्द नहीं है। जहां तक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है यह प्रश्न Mix Question of Law है। जिसको वाद बनाकर निर्णित किया जाना चाहिए। अत: प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए:- |

26/7/23

लय ——————————————

—————————— बनाम ——————————

मा संख्या/वर्ष : ——————————/20——

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | ① DNJ 2013(2) Raj Page 552<br>② DNJ 2010(3) Raj Page 1197<br>③ DNJ 2013(1) Raj Page 368<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।<br><br>सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 16/12/2021 के अनुसरण में खोले गये नामान्तरण सं. 500 दिनांक 10/3/2022 के द्वारा खातेदारों का एक हिस्सा अलहदा-अलहदा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा चुका है। जहां तक इस न्यायालय को आपसी सहमति बंटवारा के संबंध में वाद/अपील सुनने का प्रश्न है तो न्यायालय के विनम्र मत में यह प्रश्न पूर्णतया विधि का प्रश्न है ना कि तथ्यों का प्रश्न या Mix Question of Law है। विधि के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए तनकी बनाने की कतई आवश्यकता नहीं। वाद के न्यायालय पक्षकार की प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर विधि के प्रश्न का विनिश्चय कर सकता है।<br><br>सहमति बंटवारा की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को विधि द्वारा सशक्त किया हुआ है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में वादिनी की किसी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार इस न्यायालय को हस्तगत प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार<br><br>[signature] 26/7/23 | |

न्यायालय ______________________

______________________ बनाम ______________________

मुकदमा संख्या / वर्ष : ______________ / 20__

| क्र0स0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशे |
|---|---|---|---|
| | | किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एतद द्वारा स्वीकार किया जाकर वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।<br>निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>26/7/23 | |